कार्यालय–उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक 09 /रा0, दिनांक 09-01-2016

प्रेषक,

उपायुक्त, पलामू।

सेवा में,

प्राचार्य,
जवाहर नवोदय विद्यालय,
डालटनगंज, पलामू।

विषय :– **पलामू जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के आवासीय परिसर, खेल मैदान, बहुदेशीय भवन एवं उद्यान की स्थापना हेतु एवं जवाहर नवोदय विद्यालय के शैक्षणिक कार्य परिसर की स्थापना हेतु चिह्नित की गयी भूमि का NOC निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि पलामू जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के आवासीय परिसर, खेल मैदान, बहुदेशीय भवन एवं उद्यान की स्थापना हेतु एवं जवाहर नवोदय विद्यालय के शैक्षणिक कार्य परिसर की स्थापना हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर के पत्रांक 519, दिनांक 31.12.2015 द्वारा लीज बंदोवस्ती भू–हस्तांतारण अभिलेख सं0 03/2015–16 एवं अभिलेख सं0 04/2015–16 प्राप्त हुआ है।

भूमि का विवरण।

क्र0	संस्थान का नाम	ग्राम/थाना	खाता	प्लौट	रकबा (ए0में)	किस्म भूमि
1	जवाहर नवोदय विद्यालय के आवासीय परिसर, खेल मैदान, बहुदेशीय भवन एवं उद्यान	पोखराहा खूर्द/205	85	1383	12.00	गै0म0 टांड–III जंगल–साखू
	जवाहर नवोदय विद्यालय के शैक्षणिक कार्य परिसर	पोखराहा खूर्द/205	85	1383	12.00	गै0म0 टांड–III जंगल–साखू

चूँकि जवाहर नवोदय विद्यालय के आवासीय परिसर, खेल मैदान, बहुदेशीय भवन एवं उद्यान, खाता सं0 85, प्लौट सं0 1383, रकबा 12.00 एकड़, किस्म भूमि गै0म0 टांड़–III जंगल–साखू एवं जवाहर नवोदय विद्यालय के शैक्षणिक कार्य परिसर, खाता सं0 85, प्लौट सं0 1383, रकबा 12.00 एकड़, किस्म भूमि गै0म0 टांड़–III जंगल–साखू है। सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची के संकल्प सं0 1817, दिनांक 30.04.2015 के कंडिका–2 के अनुसार 25.00 एकड़ भूमि तक संबंधित उपायुक्त को गै0म0 जंगल–झाड़ी (Deemed Forest) का सैधान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की शक्ति अन्तर्निहित है, जिसके आलोक में सैधान्तिक रूप से NOC निर्गत किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के आवासीय परिसर, खेल मैदान, बहुदेशीय भवन एवं उद्यान, खाता सं0 85, प्लौट सं0 1383, रकबा 12.00 एकड़, किस्म भूमि गै0म0 टांड़–III जंगल–साखू एवं जवाहर नवोदय विद्यालय के शैक्षणिक कार्य परिसर, खाता सं0 85, प्लौट सं0 1383, रकबा 12.00 एकड़, किस्म भूमि गै0म0 टांड़–III जंगल–साखू (Deemed forest) की भूमि का अपयोजन हेतु राज्य स्तर पर वन एवं पर्यावरण विभाग से NOC प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

उपायुक्त, पलामू।

(15)

ग्राम - पोखराहा खुर्द
थाना - मेदिनीनगर नं. 205
जिला - पलामू
पैमाना — 16" = 1 मील
संकेत — प्रस्तावित जवाहर नवोदय विद्यालय हेतु भूमि

खाता	प्लौट	रकबा
	1383/ख	12.00

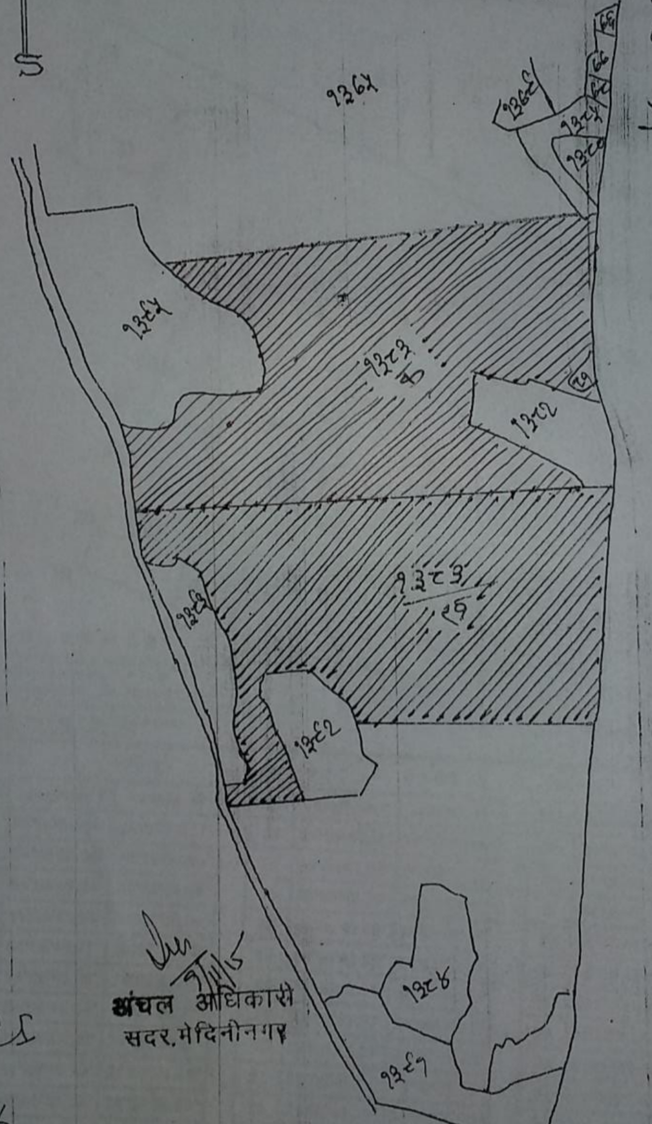

अंचल अधिकारी
सदर, मेदिनीनगर

उप समाहर्त्ता
भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर

अनुमंडल पदाधिकारी
सदर, मेदिनीनगर

FORM I

(FOR LINEAR PROJECT)

Government of Jharkhand

Office of the Deputy Commissioner, Palamu

(Welfare Section)

Ref. No. 1211 Dated 27/10/16

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. Of India's letter no. 11-9/98 FC (pt.) Dated 3 rd August 2009 where in the MoEF issued guide line on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Right) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land propose to be diverted for non forest purpose read with MoEF's letter dated 05th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 24.00 Acre of forest land proposed to be diverted in favour of Principal, Jawahar Navoday Vidyalaya, Medininagar in Jurisdiction of Village- Pokhraha Khurd, Block- Sadar Medininagar, Dist- Palamu is as bellow.

Sl No	Name of Institution	Circle Office	Village	Thana Number	Khata Number	Plot Number	Area
1	J.N.Vidyalaya for Residential, Sports Ground & Multi purpose	Sadar Medininagar	Pokhraha Khurd	205	85	1383	12.00 Acre
2	J.N.Vidyalaya for Class Room	Sadar Medininagar	Pokhraha Khurd	205	85	1383	12.00 Acre
कुल रकबा							24.00 Acre

It is further certified that –

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 24.00 Acre of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the Gram Sabha (s) are enclosed.

(b) The division of forest land for facilities managed by the Govt. As required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.

(c) The Proposal does not involved recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agricultural communities.

27/10/16

Deputy Commissioner
-cum-
Chairman, District Level Forest Right Committee
FRA 2006

कार्यालय–उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक /रा0, दिनांक

प्रेषक,

अपर समाहर्त्ता,
पलामू।

सेवा में,

प्राचार्य,
जवाहर नवोदय विद्यालय,
नावाटोली, डालटनगंज।

विषय :– **पलामू जिले के सदर अंचल मेदिनीनगर, ग्राम–पोखराहाखुर्द में जवाहर नवोदय विद्यालय के आवासीय परिसर, खेल मैदान, बहुद्देशीय भवन एवं उद्यान की स्थापना हेतु चिन्हित की गयी भूमि के संबंध में।**

प्रसंग :– इस कार्यालय के पत्रांक–371/रा0, दिनांक–08.02.16

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि पलामू जिले के सदर अंचल मेदिनीनगर, ग्राम–पोखराहाखुर्द में जवाहर नवोदय विद्यालय के आवासीय परिसर, खेल मैदान, बहुद्देशीय भवन एवं उद्यान की स्थापना हेतु चिन्हित की गयी भूमि का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	संस्थान का नाम	ग्राम/थाना	खाता	प्लॉट	रकबा (ए0 में)	किस्म भूमि
1	जवाहर नवोदय विद्यालय के शैक्षणिक कार्य परिसर की स्थापना हेतु	पोखराहाखुर्द/205	85	1383	12.00	टाड–III जंगल–साखु
2	जवाहर नवोदय विद्यालय के आवासीय परिसर, खेल मैदानं, बहुद्देशीय भवन एवं उद्यान	पोखराहाखुर्द/205	85	1383	12.00	टाड–III जंगल–साखु
	कुल योग :–				24.00	

चूंकि प्रस्तावित भूमि गैरमजरूआ जंगल–साखु प्रकृति की है। विभागीय संकल्प स0–1817 दिनांक–30.04.15 के कंडिका–2 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–09, दिनांक–09.01.16 से उपायुक्त महोदय द्वारा उपर्युक्त भूमि का सैद्धांतिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है।

1. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत उक्त भूमि गैर वानिकी कार्य के निर्माण हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र फॉर्म–A में समर्पित किया जाए।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, झारखण्ड सरकार/भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाए।
3. चयनित स्थल की उपयुक्तता के संबंध में भी प्रतिवेदन अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि भूमि अपयोजन से पूर्व उपर्युक्त निदेश का अनुपालन कर शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अभिलेख स्वीकृति हेतु आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर को भेजी जा सके।

विश्वासभाजन,

अपर समाहर्त्ता,
पलामू।

ज्ञापांक 1654/रा0, दिनांक 23-9-16

प्रतिलिपि– अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि सदर मेदिनीनगर अंतर्गत ग्राम पोखराहाखुर्द में जवाहर नवोदय विद्यालय के शैक्षणिक एवं अन्य परिसर के निर्माण हेतु चिन्हित की गयी भूमि के शुल्क लीज बंदोबस्ती हेतु प्रस्तावित भूमि से संबंधित निबंधन कार्यालय, पलामू का अभिप्रमाणित अद्यतन दर तालिका आयुक्त, पलामू प्रमण्डल मेदिनीनगर द्वारा अनुरोध के आलोक में अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि– उपायुक्त, पलामू को सादर सूचनार्थ समर्पित।

23/9/16

अपर समाहर्त्ता,
पलामू।

कार्यालय–उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू।

(सहाय्य शाखा)

पत्रांक 371/स० दिनांक 08.03.16

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,
पलामू।

प्राचार्य,
जवाहर नवोदय विद्यालय,
नावाटोली, डालटनगंज,
पलामू–822101, झारखण्ड।

विषय :– पलामू जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के आवासीय परिसर, खेल मैदान, बहुद्देशीय भवन एवं उद्यान की स्थापना हेतु एवं जवाहर नवोदय विद्यालय के शैक्षणिक कार्य परिसर की स्थापना हेतु चिन्हित की गयी भूमि के संबंध में।

Shri Narayan Singh
Keep it in Permanent Land file
17/3/16

उपर्युक्त विषय के संदर्भ मे कहना है कि पलामू जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के आवासीय परिसर, खेल मैदान, बहुद्देशीय भवन एवं उद्यान की स्थापना हेतु एवं जवाहर नवोदय विद्यालय के शैक्षणिक कार्य परिसर की स्थापना हेतु चिन्हित की गयी भूमि का प्रस्ताव मे आयुक्त पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर द्वारा कतिपय त्रुटियां परिलक्षित करते हुए प्रस्ताव वापस कर दिया गया है, जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि चूंकि भूमि जंगल–शाखु किस्म की है, इसलिए प्रस्तावित भूमि का अपयोजन हेतु फार्म A में भरकर N.O.C प्राप्त करने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर को समर्पित करने की कृपा की जाय तथा चयनित स्थल की उपयुक्तता के संबंध में प्रबंधन का मंतव्य उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि भूमि का प्रस्ताव आयुक्त पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को उपलब्ध कराया जाय।

अनु० – यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अपर समाहर्ता,
पलामू।

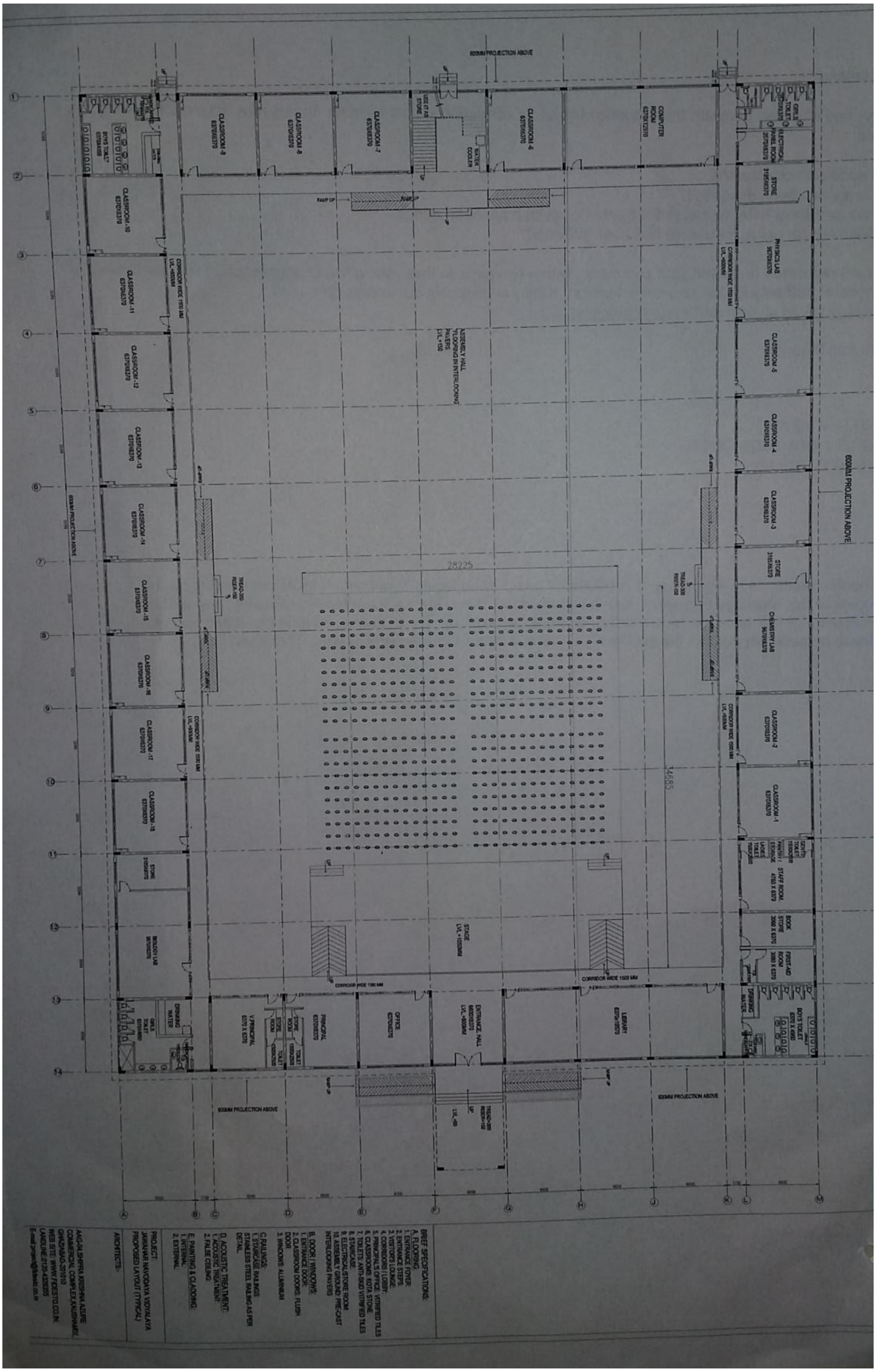

Component wise Breakup